<u>न्यायालय:- पंक्रज क्रुमा२, द्वितीय व्यवहा२ न्यायाधीश वर्ग-१ बैंतूल</u> <u>जिला-बैंतूल (म.प्र.)</u>

व्यवहार वाद कमांक-700031 ए/2015

संस्थित दिनांक- 17/04/2015

<u>फाईलिंग नंबर 1808 / 2015</u>

1. जवाहरलाल वल्द मोतीलाल पगारिया उम्र 85 वर्ष, पेशा व्यवसाय साकिन गांधीचौक कोठीबाजार बैतूल, ओर से मुख्त्यार नीतिनकुमार व. जवाहरलाल पगारिया, उम्र 45 वर्ष पेशा व्यवसाय साकिन गांधीचौक कोठीबाजार बैतूल जिला— बैतूल (म0प्र0)

बिरदीचंद व. मोतीलाल पगारिया उम्र 74 वर्ष,
 पेशा व्यवसाय सा. गांधीचौक कोठीबाजार बैतूल

वादीगण

विरुद्ध

- **1. धनराज** व. पुखराज पगारिया आयु 80 वर्ष,
- हेमंत पिता धनराज पगारिया उम्र 50 वर्ष, दोनों निवासी गांधीचौक कोठीबाजार बैतूल
- 3. सोनाबाई पत्नी स्व. पनराज पगारिया उम्र 70 वर्ष,
- 4. अतुल वल्द स्व. पनराज पगारिया उम्र 54 वर्ष
- 5. मुकुल वल्द स्व. पनराज पगारिया मद्ध 50 वर्ष
- राजेश वल्द स्व. पनराज पगारिया उम्र ४६ वर्ष,
 क. 2 से 6 नि. शांति द्रेडर्स मेनरोड बैतूलगंज तह. जिला बैतूल
- 7.अ- श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व. दिनेश पगारिया उम्र 53 वर्ष
 - ब- धर्मेश वल्द स्व. दिनेश पगारिया उम्र 32 वर्ष
 - स— लवलेश वल्द स्व. दिनेश पगारिया उम्र 27 वर्ष, सभी नि. अरिहंत स्टोर्स एम.जी.काम्पलेक्स कोठीबाजार बैतूल तह. जिला बैतूल
- ताराबाई पगारिया पिन स्व. जीवनलाल उम्र 70 वर्ष,
- 9. राजेश पगारिया व. स्व. जीवनलाल पगारिया उम्र 55 वर्ष,
- 10. संजय व. स्व. जीवनलाल पगारिया उम्र 52 वर्ष,

- क. 8 से 10 सा. 26 वसुंधरा कालोनी चेरीताल वार्ड जबलपुर
- 11. मोहनलाल व. कन्हैयालाल पगारिया उम्र 70 वर्ष, सा. बी 8 अनमोल विहार गुढियारी सांई विहार के सामने रायपुर छत्तीसगढ
- 12. पदमचंद व. निहालचंद चोरिडया उम्र 70 वर्ष, सा. बंगला नंबर 5 नर्मदारोड कैंट जबलपुर म.प्र.
- 13. प्रीतमचंद व. निहालचुंद चोरडिया उम्र 60 वर्ष्का, सा. 599 सेट निहालचंद काम्पलेक्स मेनरोड गोरखपुर जबलपुर म.प्र.
- 14. महेशचन्द व. निहालचंद चोरिडयासा. 601 पेनीयर टाउन गोरखपुर जबलपुर म.प्र.
- 15. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर (नजूल विभाग) बैतूल
- स्नेहलता पत्नी धर्मचंद जी छाजेड सीमेंट डीलर न्यू ब्लाक शिवपुरी म.प्र.
- 17. प्रेमलता पत्नी महेन्द्र कुमार दुग्गड सा. ममता अक्षय आदित्य रेसीडेंसी अनन्त मंगल कार्यालय के आगे शंकरनगर रोड राजापेठ अमरावती महाराष्ट्र
- 18. श्रीमती रूपलता पत्नि राजकुमार कोचर सा. अमरावती महाराष्ट्र

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

!! आदेश !!

<u>(आज दिनांक 08/03/2018 को पारित)</u>

- (1) इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 6 / 17 का निराकरण किया जा रहा है।
- (2) प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- (3) संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी

पक्षकारगण मूलपुरूष स्व. स्वरूपचंद के पुत्र सूरजमल, गणेशराज, मूलचंद चांदमल एवं ताराचंद के वारसान है, इन सभी पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। पक्षकारगण हिंदू होकर हिंदू विधि से शासित है, उनकी संयुक्त हिंदू परिवार की संयुक्त संपत्ति थी जिसका बंटवारा 1936 में पंजीकृत बंटवारा के माध्यम से हुआ था। बंटवारे के पूर्व ही गणेशराज और मूलचंद की मृत्यु हो चुकी थी। वादग्रस्त भूमि नजूल शीट नंबर 7 के प्लाट नंबर 121/8 रकबा 1909 वर्गफुट तथा प्लाट नंबर 1 वादग्रस्त भूमि है और जिस पर जवाहरलाल, हेमंत का नाम दर्ज है। प्लाट नंबर 121/8 के रकबा 1909 पर वादी का आधिपत्य है और उसके द्वारा उपभोग किया जा रहा है। प्रतिवादी क. 2 या किसी अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है।

(4) वादग्रस्त भूमि पर हेमंत पगारिया प्रतिवादी क. 2 द्वारा स्वयं का नाम दर्ज करने हेतु नजूल अधिकारी के समक्ष इस आधार पर नामांतरण आवेदन पेश किया गया था कि बसंतीलाल के द्वारा उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है जबिक बसंतीलाल द्वारा हेमंत पगारिया के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है, हेमंत पगारिया द्वारा जो वसीयत पेश की गई है वह फर्जी है। पूर्व में वादग्रस्त भूमि पर वसीयत के आधार पर हेमंत का नाम दर्ज कर लिया गया था जिसका विरोध जवाहरलाल, बिरदीचंद ने किया था जिसकी अपील की थी, अपील स्वीकार की जाकर आदेश निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई के आदेश दिये गये थे लेकिन नजूल

अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं प्रारंभ नहीं की गई है। उभय पक्ष के मध्य नजूल शीट नंबर 7 के प्लाट नंबर 121, प्लाट नंबर 1, प्लाट नंबर 47 का विवाद है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, विभाजन तथा वास्तविक आधिपत्य प्राप्त करने हेतु दावा पेश करते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से इस आशय की सहायता चाही गई है कि प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य के माध्यम से विवादित संपत्ति पर कोई निर्माण कार्य न करे और और उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन न करे तथा न ही उसे अंतरित करे।

- (5) प्रतिवादी क. 3, 4, 5 एवं 6 ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है परंतु वादपत्र अभिवचनों को चुनौती नहीं दी गई है।
- (6) प्रतिवादी क. 1, 2 एवं 7 द्वारा वादपत्र के समस्त प्रतिकूल अभिवचनों को अस्वीकार किया है तथा अभिकथित किया है कि वादीगण आपस में सगे भाई है, साथ में रहते हैं वादी क. 1 द्वारा पूर्व में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतूल के समक्ष इसी संपत्ति के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थायी निषधाज्ञा, बंटवारा बाबत् इस वाद के प्रतिवादी क. 1, 3 एवं 7 तथा वादी क. 2 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिसमें इन प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के मध्य दुरिभसंधि होने के अभिवचन किये गये थे। सन 1936 में बंटवारा से प्राप्त कई संपत्तियों को वादी क. 1 द्वारा पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। पूर्व में ही इन वादग्रस्त

भूमियों के संबंध में निराकरण हो चुका है। वादीगण का दावा अविध बाह्य है, इस प्रकार वादीगण का दावा प्रचलन योग्य नहीं है। वादीगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में यह कही दर्शित नहीं किया है कि 5525 वर्गफुट भूमि के किस हिस्से पर कितना निर्माण कार्य कब किया गया है। वादीगण द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाया गया है। प्रतिवादी क. 2 की पुरानी दुकान है जिसे उसके द्वारा उसी जगह पर रिनीवल किया गया है, उस स्थान से संबंधित कोई विवाद नहीं है नवीनीकरण का कार्य 2—3 माह से चल रहा है। सभी पक्षकारगण सहदायी होकर सह हिस्सेदार है ऐसी दशा में किसी सह हिस्सेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञाा प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

- (7) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :—
 - 1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
 - 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?
 - 3-क्या अपूर्णीय क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?
- (8) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।
- (9) प्रकरण में यह स्वीकृत है कि उभय पक्ष के मूलपुरूष

स्व. स्वरूपचंद के पुत्र सूरजमल, गणेशराज, मूलचंद, चांदमल एवं ताराचंद के वारसान हिंदू होकर हिंदू विधि से शासित है, उनके मध्य दिनांक 20—09—1936 को रिजस्टर्ड बंटवारा भी हो चुका है। वादीगण ने अभिकथित किया है कि वादग्रस्त भूमि में उनका भी अंश—स्वत्व है। उभय पक्ष की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर जवाहर, धनराज, कन्हैया, बसंतीबाई, उत्तमबाई, बिरदीचंद, हेमंत कुमार इत्यादि का नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस आशय की सहायता चाही गई है कि वादग्रस्त भूमि में उनका भी हिस्सा है और पृथक—पृथक आधिपत्य वास्तविक बंटवारा किया जाकर चाहा गया है।

(10) चूंकि उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है और वादग्रस्त भूमियों पर उभय पक्षों में से कुछ पक्षकारों का नाम दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ सहस्वामी हो उनमें भूमि के प्रत्येक खण्ड पर सभी का बराबर—बराबर हिस्सा होता है और एक हिस्सेदार के पक्ष में दूसरे हिस्सेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वास्तव में वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का हिस्सा है या नहीं, यह साक्ष्य लिये जाने के उपरांत मामले के गुण—दोषों पर ही निर्धारित किया जा सकता है न कि वर्तमान स्तर पर। जहाँ तक प्रतिवादीगण के निर्माण किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रथम दृष्टया साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है जिससे यह माना जावे कि उनके द्वारा निर्माण कार्य किस भाग पर या किस भू—खण्ड पर किया जा रहा है। चूंकि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों

में स्वयं का अंश-स्वत्व होने के संबंध में घोषणा हेतू दावा पेश किया गया है, इस प्रकार वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण तो पाया जाता है, लेकिन एक सह-स्वामी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती ऐसी दशा में अपूर्णीय क्षति और सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है, परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपिवत धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 6/2017 पोषणीय न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर हस्ताक्षरित किया गया ।

मेरे निर्देश में टंकित किया गया ।

(पंकाज क्रुमा२) (पंकाज क्रुमा२) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतृल बैतृल